दीर्घावधि सिंचाई निधि - भारतीय सिंचाई के लिए दीर्घावधि लाभ

वर्ष 2016-17 के आम बजट में सिंचाई के क्षेत्र में धन के अभाव में अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड में रु.20,000 करोड़ की आरंभिक राशि से दीर्घावधि सिंचाई निधि(एलटीआईएफ़) की स्थापना की घोषणा की गई. इस घोषणा के साथ ही, नाबार्ड ने पूरी व्यावसायिकता का परिचय देते हुए तत्परता से राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एनडबल्यूडीए) को 64 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय अंशदान के रूप में रु.21,488 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी गई. इसके समक्ष 21 अक्तूबर 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास संस्था(एनडबल्यूडीए) को रु.1500 करोड़ का संवितरण भी किया गया. इसके बाद नाबार्ड ने गुजरात और महाराष्ट्र को रु.10,853 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी गई. आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एनडबल्यूडीए) को रु.2981 करोड़ के ऋण की स्वीकृति की गई. इसे मिला कर दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) के अधीन नाबार्ड की संचयी स्वीकृतियाँ रु.35,322 करोड़ तक पहुँच गई हैं और रु. 5671 करोड़ संवितरित किए. दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) के अधीन स्वीकृति से इन परियोजनाओं से संचयी रूप से 46.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध होगी.